

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या—९/उपांकीट०अनु०—०६/२०१४
प्रेषक,

१९५५ / क०, पटना, दिनांक - २१ | ८५ |

2015.

धर्मेन्द्र सिंह, मा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री पवन कुमार सिन्हा,
मेसर्स यूनाइटेड फॉसफोरस लि०,
द्वारा—सुमित्रा एजेन्सी, भी०—४६६,
विद्यापुरी केन्द्रीय विद्यालय के पीछे,
कंकड़बाग, पटना—८०००२०

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या—१०६—१०७ दिनांक 24.01.2006 वैद्यता

तिथि 31.12.2015 में Endorsment एवं संशोधन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चलान एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 के निहित प्रावधानों के आलोक में स्वनिर्मित निम्नांकित कीटनाशियों का अनुज्ञप्ति संख्या—१०६—१०७ दिनांक 24.01.2006 वैद्यता तिथि 31.12.2015 के अन्तर्गत Endorsment तथा संशोधन निम्न प्रकार किया जाता है।

1. इन्डोर्समेन्ट :-

क्रमांक	कीटनाशी का नाम
1	Lambda Cyhalothrin 2.5% EC
2	Bifenthrin 10% ECW/W
3	Lambda Cyhalothrin 5% EC
4	Clodinafop Propargyl 15% Metsulfuron Methyl 1%WP
5	Bifenthrin 10% WP w/w
6	Piroxofop-Propanyl (Clodinafop-Propargyl) 15% WP
7	Sulphur 80% WDG
8	Pretilachlor 6.0%+Pyrazosulfuron Ethyl 0.15% GR

2— कृषि निदेशालय, बिहार के पत्रांक—१८०७ दिनांक 23.04.2014 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नांकित कीटनाशियों का वैद्यता तिथि 31.12.2015 तक किया जाता है।

क्रमांक	कीटनाशी का नाम
1	Acephate 50%+Imidacloprid 1.8% SP
2	Acetamiprid 20% SP
3	Alphacypermethrin 10% EC
4	Cartap Hydrochloride 50% SP
5	Cartap Hydrochloride 4% GR
6	Cypermethrin 3%+Quinalophos 20%EC
7	Glyphosate 41% SL
8	Hexaconazole 5% EC
9	Metalaxyll 8%+Mancozeb 64% WP
10	Metoxuron 80% WP
11	Metsulfuron Methyl 20% WP
12	Paraquat Dichloride 24% SL
13	Pendimethalin 30% EC
14	Phosphamidon 40% SL
15	Pretilachlor 50% EC
16	Pyrazosulfuron Ethyl 10% WP
17	Sulfosulfuron 75%+Metsulfuron Methyl 5% WG
18	Thiamethoxam 70% WS
19	Thiamethoxam 25% WG
20	Triazophos 40% EC
21	Trycyclazole 75% WP
22	Carbendazim 12%+ Mancozeb 63% WP

3-उपर्युक्त कीटनाशियों का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:- मेसर्स यूनाईटेड फॉसफोरस लिंग, H/O-श्रीमती चन्द्रा देवी, रानीपुर महादेव स्थान, थाना-बाईपास, पटना-800009

4-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

5-अनुज्ञाप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

6-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

7-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

8-नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

9-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विर्निमाता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/विक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

हॉ/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापाक ०९५५

/कृ०, पटना, दिनांक २१।०५।, 2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


कृषि निदेशक, बिहार, पटना। २१।०५।१५